२०।५।२६	पत्रावली पेश हुई। दावा की मौखिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी मौखिक पत्रावली शामिल की। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियम से बाद तकमील दाखिल हो। आदेश उजागर किया उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

1 भौरू लाल फौत

1/1–अमरसिंह
1/2–गंगाराम
1/3–कमला
1/4–फूलवती
1/5–रिंकी
1/6–पिंकी

पुत्र पुत्रीयान भौरू

1/7–श्रीवाई पत्नि भौरू लाल

2. सत्तू पुत्र मंगल

3. राम प्रसाद पुत्र मगल फौत

3/1–मोहर सिंह
3/2–बचन
3/4–दयानंद
3/5–इमरती
3/6–केसन्ती
3/7–किन्ता

पुत्र पुत्रीयान राम प्रसाद

3/8–पानो देवी पत्नी राम प्रसाद

4. करन पुत्र मंगल

5. जल सिंह पुत्र किशोरी

सभी जाति माली निवासीयान मेगजीन करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गजेन्द्र उर्फ पप्पू भारद्वाज पुत्र श्याम सुन्दर भारद्वाज जाति ब्राहम्ण निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
2. तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली
3. रूप सिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी गुरदईया का डांडा बरखेडा नदी करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

छावा हुक्म इम्तनाई एवं दुरूस्ती इन्द्राज

मु.नं. 88/09

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री रामजीलाल अग्रवाल**, एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री बाबू लाल शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अत: दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 6888 लगायत 6893, 6924 लगायत 6926, 6937 लगायत 6939, 6956 लगायत 6959 कुल किता 16 कुल रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे कोई व्यवधान नहीं करें एवं कोई तोडफोड ना तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावें। खसरा नंबर 6862 के बाबत दावा वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज _____ मुबलिग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह _____ _____फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____ का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/1/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

नोट:–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं भरा करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–88/09 तारीख रजु:–9.12.09

उनवान

1. भौरू लाल फौत

   1/1–अमरसिंह
   1/2–गंगाराम
   1/3–कमला
   1/4–फूलवती
   1/5–रिंकी
   1/6–पिंकी

   पुत्र पुत्रीयान भौरू

   1/7–श्रीवाई पत्नि भौरू लाल

2. सत्तू पुत्र मंगल
3. राम प्रसाद पुत्र मंगल फौत

   3/1–मोहर सिंह
   3/2–बचन
   3/4–दयानंद
   3/5–इमरती
   3/6–केसन्ती
   3/7–किन्ता

   पुत्र पुत्रीयान राम प्रसाद

   3/8–पानो देवी पत्नी राम प्रसाद

4. करन पुत्र मंगल
5. जल सिंह पुत्र किशोरी

   सभी जाति माली निवासीयान मेगजीन करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. गजेन्द्र उर्फ पप्पू भारद्वाज पुत्र श्याम सुन्दर भारद्वाज जाति ब्राहम्ण निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली
2. तहसीलदार साहब तहसील करौली जिला करौली
3. रूप सिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी गुरदईया का डांडा बरखेडा नदी करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

छावा हुक्म इम्तनाई एवं दुरूस्ती इन्द्राज

—::निर्णय::— दिनांक 20/2/2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बरान 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6924, 6925, 6926, 6937, 6938, 6939, 6956, 6957, 6958, 6959 कुल किता 16 कुल रकवा 34 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम तन करौली वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी से मिली हुई सरकारी भूमि खसरा नम्बर 6862 रकवा 3 बीघा 17 विस्वा नाले के रूप में सरकारी भूमि जिसका आमबस्ता के लोग मवेशी चराने के लिए करते आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण 1 प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने साथ सहयोग के लिए अनजान व्यक्तियों के गिरोह को साथ रखता है। और ऐसे व्यक्तियों को मौलिक हथियारों से लैस कर एल एन टी मशीन के साथ जमीन की तोड फोड करने अब से 8–9 दिन पूर्व पहुंचा जिसकी शिकायत प्रार्थी वादीगण एवम् आम ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर महोदय करौली एवम एस0पी0 साहब करौली को की जिन्होने अधिनस्थ अधिकारीयों को आदेश किए इसकी जानकारी प्रतिवादी को ही गयी और दिनांक 8/12/09 को प्रतिवादी ने खुली धमकी दी कि मै पैसे व आदमी वाला हूं और मैने पेसे के बल पर सब कुछ कर लिया इस जमीन की तोडफोड मेरे लिए मामूली बात है मै इसपर कब्जा करूंगा और तोडफोड कर बस्ती बसाउंगा बदी वजह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ। विनाय मुखासमत दिनांक 8.12.09 को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा तोडफोड की खुली धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अंदर म्याद हैं। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। **प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि** आराजीयात मुन्दर्जे

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

पैरा नंबर 1 बाद पत्र से वादीगण का कोई हक व संबंध नही है। आराजी खसरा नंबर 6862 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा मुझ प्रतिवादी एवं रूपसिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी नदी बरखेडा की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है ना तो यह नाले के रूप में है ना सरकारी भूमि है न यह भूमि आम बस्ती के लोगो के लिये मवेशी चराने के काम आती है ना कभी किसी ने इस आराजी में मवेशी चराई बल्कि आराजी खसरा नंबर 6862 पर मुझ प्रतिवादी एवं रूपसिंह का कब्जा काश्त एवं खातेदारी है। प्रतिवादी सीधा साधा व्यक्ति है एवं वादीगण का स्वयं का एक गिरोह है जो आये दिन प्रतिवादी अप्रार्थी को परेशान करते रहते है। दावे से 8–9 दिन पहले मै प्रतिवादी एल0एन0टी0 लेकर कभी नही पहुंचा वादीगण द्वारा मुझ प्रतिवादी की अगर कोई शिकायत की गई हो तो वह बेबुनियाद एवं बिल्कुल झूठी है एवं मुझ प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण को दिनांक 8–12–09 को कोई जमीन तोड फोड की धमकी नही दी सारी बाते मनगढंन्त एवं झूठी है वादीगण को मुझ प्रतिवादी के खिलाफ दावा लाने का कोई हक नही हे दावा वादीगण चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। दिनांक 8/12/09 को मुझ प्रतिवादी द्वारा वादीगण को कोई धमकी नही दी गई इसलिये वादीगण को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई। दावा म्याद बाहर है। दावा वादीगण किसी भी प्रकार चलने योग्य नही है वादीगण खसरा नं0 6862 मुझ प्रतिवादी एवं रूपसिंह की खातेदारी की आराजी का इन्द्राज दुरूस्त कराने का कोई हक नही है एवं मुझ प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी में किसी को भी मवेशी चराने का कोई हक हासिल नही है। इसलिये वादीगण यह भी दादरसी पाने के अधिकारी नही है दावा वादीगण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। आरजी खसरा नं0 6862 कस्बा करौली का मै प्रतिवादी नंबर 1 व रूपसिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी नदी बरखेडा की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। रूपसिंह को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती का दावा चलने योग्य नही है। नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर दावा खारिज होने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

योग्य है। वादीगण ने दावा खातेदार के खिलाफ किया है यह दावा प्रतिवादी खातेदार के खिलाफ चलने योग्य नही है। आराजी खसरा नंबर 6862 दिनांक 17.3.70 को रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्योनारायण ब्राहमण निवासी करौली के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी थी उसके बाद रघुनाथ प्रसाद ने आराजी का वयनामा गोविन्द पुत्र पम्पोला माली को करा दिया जिसका नामान्तकरण नंबर 702 दिनांक 7/2/83 को गोविन्द पुत्र पम्पोला माली के नाम हो गया और वह खातेदार काश्तकार रहा उसके बाद गोविन्द पुत्र पम्पोल माली ने दिनांक 4/8/88 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा गजेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर भारद्वाज एवं रूपसिंह पुत्र श्री पम्पोला जाति माली को वय कर दिया जिसका खाता जरिये नामान्तकरण नंबर 865 दिनांक 16/8/88 को प्रतिवादी गजेन्द्र एवं रूपसिंह के नाम हो गया और तभी से प्रतिवादी गजेन्द्र व रूपसिंह आराजी खसरा नम्बर 6862 के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। इतने हस्तान्तकरण होने के बाद भी इन व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाये जाने से दावा चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। **प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि** आराजीयात मुन्दर्जे पैरा नंबर 1 बाद पत्र से वादीगण का कोई हक व संबंध नही है। आराजी खसरा नम्बर 6862 रकवा 3 वीघा 17 विस्वा मुझ प्रतिवादी रूपसिंह पुत्र पम्पोला माली निवासी नदी बरखेडा एवं प्रतिवादी गजेन्द्र भारद्वाज की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। ना तो यह नाले के रूप में है ना सरकारी भूमि है न यह भूमि आमबस्ती के लोगों के लिये मवेशी चराने के काम आती है। ना कभी किसी ने इस आराजी में मवेशी चराई। बल्कि आराजी खसरा नं0 6862 पर मुझ प्रतिवादी रूपसिंह एवं गजेन्द्र भारद्वाज का कब्जा काश्त एवं खातेदारी है। उक्त आराजी पूर्व में रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्यो नारायण ब्राहमण की खातेदारी की भूमि थी। जिसे मुझ जवाबदार रूपसिंह प्रतिवादी व प्रतिवादी गजेन्द्र ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। रघुनाथ प्रसाद

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

उक्त भूमि का आवंटी रहा है रघुनाथ प्रसाद फौत हो चुका है। रघुनाथ प्रसाद आवंटी के वारिसान को वादी द्वारा पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है। दावा वादी घोषणा का है। रघुनाथ प्रसाद के वारिसान को व दीगर खातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना उक्त दावा ओ0 7 रूल 11 जा0 दी0 के तहत चलने योग्य नही है। और दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादी का स्वयं का कथन है कि उक्त भूमि सरकारी है व उसके द्वारा पेश जमाबंदी स्वयं विरोधाभासी है। इसलिये दावा वादी खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण जबावदार सीधा साधा व्यक्ति है एवं वादीगण का एक गिरोह है जो आये दिन प्रतिवादी को परेशान करते रहते है व एक ही परिवार के व्यक्ति है जिन्हे दावा करने कोई अधिकार नही है। मुझ प्रतिवादी योम खरीद से उक्त भूमि पर काबिज काश्त हूं और अपने परिवार सहित निवास कर रहा हूं मुझ प्रतिवादी रूपसिंह, पम्पोला, गोविन्द द्वारा वादीगण को दिनांक 8–12–09 को कोई जमीनतोड फोड की धमकी नही दी सारी कहानी फर्जी व मनगढन्त है। वादीगण की मुझ प्रतिवादी जवाबदार के खिलाफ दावा लाने का कोई हक नही है। दावा वादीगण चलने योग्य नही है। खारिज होने योग्य नही हैं। दिनांक 8.12.09 को मुझ प्रतिवादी जवाब द्वारा वादीगण को कोई धमकी नही दी गई। इसलिये वादीगण को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई। दावा वादी मियाद बाहर है। दावा वादीगण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। वादीगण खसरा नंबर 6862 हम प्रतिवादी रूपसिंह व गजेन्द की खातेदारी की आराजी में किसी को भी मवेशी चराने का कोई हक हासिल नही हैं। इसलिये वादीगण यह भी दादरसी पाने के अधिकारी नही है दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 6862 कस्बा करौली का मै प्रतिवादी रूपसिंह व प्रतिवादी गजेन्द्र की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है मुझ रूपसिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी नदी बरखेडा करौली को जबरन पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने दावा खातेदार के खिलाफ किया है। यह कि दावा प्रतिवादी जवाबदार खातेदार के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खिलाफ चलने योग्य नही है। आराजी खसरा नंबर 6862 दिनांक 17.2.1970 को रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्यो नारायण जाति ब्राहमण निवासी करौली के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी थी उसके बाद रघुनाथ प्रसाद ने आराजी को वयनामा के जरिये गोविन्द पुत्र पम्पोला माली को विक्रय कर वयनमा करा दिया। जिसका नामान्तकरण नंबर 702 दिनांक 7.2.83 को गोविन्द पुत्र पम्पोला माली के नाम हो गया और वह खातेदार काश्तकार रहा। उसके बाद गोविन्द पुत्र पम्पोला माली ने दिनांक 4.8.88 को जरिये रजिस्टर्ड वयनमा गजेन्द्र पुत्र श्री श्याम सुन्दर भारद्वाज एवं रूपसिंह पुत्र श्री पम्पोला जाति माली को वय कर दिया। जिसका खाता जरिये नामान्तकरण नंबर 865 दिनांक 16.8.88 को प्रतिवादी गजेन्द्रसिंह एवं रूपसिंह के नाम हो गया। और तभी से प्रतिवादी गजेन्द्र व प्रतिवादी जवाबदार रूपसिंह उक्त आराजी खसरा नंबर 6862 के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। इतने हस्तान्तरण होने के बाद भी इन व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाये जाने से दावा चलने योग्य नही है और दावा ओ0 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज होने योग्य है। उक्त आरजी पूर्व में रघुनाथ प्रसाद, पम्पोला, गोविन्द के खातेदारी एवं कब्जे की रही है गोविन्द के पश्चाम उक्त आराजी मुझ रूपसिंह व गजेन्द्र की खातेदारी की है। उक्त पक्षकार बनाये बिना दावा हाजा चलने योग्य यह नही है और खारिज योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गयेः–

1. आया वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मुन्दर्जे वादपत्र पैरा नंबर 1 से मिली भूमि ख0न0 6862 रकवा 3 वीघा 17 विस्वा स्थित है।

–वादीगण

2. आया आराजी ख0न0 6862 में मवेशी चरती है लेकिन प्रतिवादीगण इस आराजी में तोड फोड कर बस्ती बसाने पर आमादा है।

–वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

3. आया वादीगण प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात मुन्दर्ज पैरा न0 1 एवं सरकारी जमीन ख0न0 6862 में ताकत के बल पर न तो स्वयं तोडफोड करें न अन्य से करावें।

—वादीगण

4. आया आराजी ख0न0 6862 को खातेदारी जो रूगनाथ प्रसाद ने नाम गलत इन्द्राज हो गया उसके बाद रूगनाथ प्रसाद के द्वारा अन्य के नाम इन्द्राज जो गैरकानूनी है का तहसीलदार के जरिये दुरूस्त कराया जावें।

—वादीगण

5. आया आराजी ख0न0 6862 रूपसिंह व प्रतिवादी गजेन्द्र की खातेदारी की आराजी है।

—प्रतिवादीगण

6. आया आराजी ख0न0 6862 रघुनाथ पुत्र श्योनारायण की खातेदारी की थी जिसे रघुनाथ प्रसाद ने गोविन्द पुत्र पम्पोली माली को वय कर दिया जिसका नामान्तकरण गोविन्द माली के नाम हो गया इसके बाद गोविन्द ने आराजी को गजेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा को एवं रूपसिंह पुत्र पम्पोला माली को वय कर दिया जिसके नामान्तकरण मुताबिक वयनामा खोले गये।

—प्रतिवादीगण

7. अनुतोष :—

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी भौरूलाल के बयान लेखबद्व कराये है। दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064—67 प्रदर्श—1 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 17.02.2026 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बहस वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बरान 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6924, 6925, 6926, 6937, 6938, 6939, 6956, 6957, 6958, 6959 कुल किता 16 कुल रकवा 34 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम तन करौली वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी से मिली हुई सरकारी भूमि खसरा नम्बर 6862 रकवा 3 वीघा 17 विस्वा नाले के रूप में सरकारी भूमि जिसका आमबस्ता के लोग मवेशी चराने के लिए करते आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण 1 प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने साथ सहयोग के लिए अनजान व्यक्तियों के गिरोह को साथ रखता है। और ऐसे व्यक्तियों को मौलिक हथियारों से लैस कर एल एन टी मशीन के साथ जमीन की तोड फोड करने अब से 8–9 दिन पूर्व पहुंचा जिसकी शिकायत प्रार्थी वादीगण एवम् आम ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर महोदय करौली एवम एस0पी0 साहब करौली को की जिन्होने अधिनस्थ अधिकारीयों को आदेश किए इसकी जानकारी प्रतिवादी को ही गयी और दिनांक 8/12/09 को प्रतिवादी ने खुली धमकी दी कि मै पैसे व आदमी वाला हूं और मैने पेसे के बल पर सब कुछ कर लिया इस जमीन की तोडफोड मेरे लिए मामूली बात है मै इसपर कब्जा करूंगा और तोडफोड कर बस्ती बसाउंगा बदी वजह दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ। विनाय मुखासमत दिनांक 8.12.09 को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा तोडफोड की खुली धमकी देने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अंदर म्याद हैं। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजीयात मुन्दर्जे पैरा नंबर 1 बाद पत्र से वादीगण का कोई हक व संबंध नही है। आराजी खसरा नंबर 6862 रकवा 3 बीघा 17 विस्वा मुझ प्रतिवादी एवं रूपसिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी नदी बरखेडा की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है ना तो यह नाले के रूप में है ना सरकारी भूमि है न

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

यह भूमि आम बस्ती के लोगो के लिये मवेशी चराने के काम आती है ना कभी किसी ने इस आराजी मे मवेशी चराई बल्कि आराजी खसरा नंबर 6862 पर मुझ प्रतिवादी एव रूपसिह का कब्जा काश्त एवं खातेदारी है। प्रतिवादी सीधा साधा व्यक्ति है एव वादीगण का स्वयं का एक गिरोह है जो आये दिन प्रतिवादी अप्रार्थी को परेशान करते रहते है। दावे से 8–9 दिन पहले मै प्रतिवादी एल0एन0टी0 लेकर कभी नही पहुंचा वादीगण द्वारा मुझ प्रतिवादी की अगर कोई शिकायत की गई हो तो वह बेबुनियाद एवं बिल्कुल झूठी है एवं मुझ प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण को दिनांक 8–12–09 को कोई जमीन तोड फोड की धमकी नही दी सारी बाते मनगढंन्त एवं झूठी है वादीगण को मुझ प्रतिवादी के खिलाफ दावा लाने का कोई हक नही हे दावा वादीगण चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। दिनांक 8/12/09 को मुझ प्रतिवादी द्वारा वादीगण को कोई धमकी नही दी गई इसलिये वादीगण को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई। दावा म्याद बाहर है। दावा वादीगण किसी भी प्रकार चलने योग्य नही है वादीगण खसरा नं0 6862 मुझ प्रतिवादी एवं रूपसिंह की खातेदारी की आराजी का इन्द्राज दुरूस्त कराने का कोई हक नही है एवं मुझ प्रतिवादी की खातेदारी की आराजी में किसी को भी मवेशी चराने का कोई हक हासिल नही है। इसलिये वादीगण यह भी दादरसी पाने के अधिकारी नही है दावा वादीगण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। आरजी खसरा नं0 6862 कस्बा करौली का मै प्रतिवादी नंबर 1 व रूपसिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी नदी बरखेडा की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। रूपसिंह को पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती का दावा चलने योग्य नही है। नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर दावा खारिज होने योग्य है। वादीगण ने दावा खातेदार के खिलाफ किया है यह दावा प्रतिवादी खातेदार के खिलाफ चलने योग्य नही है। आराजी खसरा नंबर 6862 दिनांक 17.3.70 को रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्योनारायण ब्राहमण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

निवासी करौली के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी थी उसके बाद रघुनाथ प्रसाद ने आराजी का वयनामा गोविन्द पुत्र पम्पोला माली को करा दिया जिसका नामान्तकरण नंबर 702 दिनांक 7/2/83 को गोविन्द पुत्र पम्पोला माली के नाम हो गया और वह खातेदार काश्तकार रहा उसके बाद गोविन्द पुत्र पम्पोल माली ने दिनांक 4/8/88 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा गजेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर भारद्वाज एवं रूपसिंह पुत्र श्री पम्पोला जाति माली को वय कर दिया जिसका खाता जरिये नामान्तकरण नंबर 865 दिनांक 16/8/88 को प्रतिवादी गजेन्द्र एवं रूपसिंह के नाम हो गया और तभी से प्रतिवादी गजेन्द्र व रूपसिंह आराजी खसरा नम्बर 6862 के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। इतने हस्तान्तकरण होने के बाद भी इन व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाये जाने से दावा चलने योग्य नही है खारिज होने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। आराजी खसरा नम्बर 6862 रकवा 3 वीघा 17 विस्वा मुझ प्रतिवादी रूपसिंह पुत्र पम्पोला माली निवासी नदी बरखेडा एवं प्रतिवादी गजेन्द्र भारद्वाज की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। ना तो यह नाले के रूप में है ना सरकारी भूमि है न यह भूमि आमबस्ती के लोगों के लिये मवेशी चराने के काम आती है। ना कभी किसी ने इस आराजी में मवेशी चराई। बल्कि आराजी खसरा नं0 6862 पर मुझ प्रतिवादी रूपसिंह एवं गजेन्द्र भारद्वाज का कब्जा काश्त एवं खातेदारी है। उक्त आराजी पूर्व में रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्यो नारायण ब्राहमण की खातेदारी की भूमि थी। जिसे मुझ जवाबदार रूपसिंह प्रतिवादी व प्रतिवादी गजेन्द्र ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। रघुनाथ प्रसाद उक्त भूमि का आवंटी रहा है रघुनाथ प्रसाद फौत हो चुका है। रघुनाथ्ज्ञ प्रसाद आवंटी के वारिसान को वादी द्वारा पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है। दावा वादी घोषणा का है। रघुनाथ प्रसाद के वारिसान को व दीगर खातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाये बिना उक्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा ओ0 7 रूल 11 जा0 दी0 के तहत चलने योग्य नही है। और दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादी का स्वयं का कथन है कि उक्त भूमि सरकारी है व उसके द्वारा पेश जमाबंदी स्वयं विरोधाभासी है। इसलिये दावा वादी खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण जबावदार सीधा साधा व्यक्ति है एवं वादीगण का एक गिरोह है जो आये दिन प्रतिवादी को परेशान करते रहते है व एक ही परिवार के व्यक्ति है जिन्हे दावा करने कोई अधिकार नही है। मुझ प्रतिवादी योम खरीद से उक्त भूमि पर काबिज काश्त हूं और अपने परिवार सहित निवास कर रहा हूं मुझ प्रतिवादी रूपसिंह, पम्पोला, गोविन्द द्वारा वादीगण को दिनांक 8–12–09 को कोई जमीनतोड फोड की धमकी नही दी सारी कहानी फर्जी व मनगढन्त है। वादीगण की मुझ प्रतिवादी जवाबदार के खिलाफ दावा लाने का कोई हक नही है। दावा वादीगण चलने योग्य नही है। खारिज होने योग्य नही हैं। दिनांक 8.12.09 को मुझ प्रतिवादी जवाब द्वारा वादीगण को कोई धमकी नही दी गई। इसलिये वादीगण को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई। दावा वादी मियाद बाहर है। दावा वादीगण किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही है। वादीगण खसरा नंबर 6862 हम प्रतिवादी रूपसिंह व गजेन्द की खातेदारी की आराजी में किसी को भी मवेशी चराने का कोई हक हासिल नही हैं। इसलिये वादीगण यह भी दादरसी पाने के अधिकारी नही है दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नंबर 6862 कस्बा करौली का मै प्रतिवादी रूपसिंह व प्रतिवादी गजेन्द्र की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात है मुझ रूपसिंह पुत्र पम्पोला जाति माली निवासी नदी बरखेडा करौली को जबरन पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने दावा खातेदार के खिलाफ किया है। यह कि दावा प्रतिवादी जवाबदार खातेदार के खिलाफ चलने योग्य नही है। आराजी खसरा नंबर 6862 दिनांक 17.2.1970 को रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्यो नारायण जाति ब्राहमण निवासी करौली के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी थी उसके बाद रघुनाथ

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रसाद ने आराजी को वयनामा के जरिये गोविन्द पुत्र पम्पोला माली को विक्रय कर वयनमा करा दिया। जिसका नामान्तकरण नंबर 702 दिनांक 7.2.83 को गोविन्द पुत्र पम्पोला माली के नाम हो गया और वह खातेदार काश्तकार रहा। उसके बाद गोविन्द पुत्र पम्पोला माली ने दिनांक 4.8.88 को जरिये रजिस्टर्ड वयनमा गजेन्द्र पुत्र श्री श्याम सुन्दर भारद्वाज एवं रूपसिंह पुत्र श्री पम्पोला जाति माली को वय कर दिया। जिसका खाता जरिये नामान्तकरण नंबर 865 दिनांक 16.8.88 को प्रतिवादी गजेन्द्रसिंह एवं रूपसिंह के नाम हो गया। और तभी से प्रतिवादी गजेन्द्र व प्रतिवादी जवाबदार रूपसिंह उक्त आराजी खसरा नंबर 6862 के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। इतने हस्तान्तरण होने के बाद भी इन व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाये जाने से दावा चलने योग्य नही है और दावा ओ0 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज होने योग्य है। उक्त आरजाी पूर्व में रघुनाथ प्रसाद, पम्पोला, गोविन्द के खातेदारी एवं कब्जे की रही है गोविन्द के पश्चाम उक्त आराजी मुझ रूपसिंह व गजेन्द्र की खातेदारी की है। उक्त पक्षकार बनाये बिना दावा हाजा चलने योग्य यह नही है और खारिज योग्य है। दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण को मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉड एवं साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 ता 4 एक–दूसरे के पूरक है। इसलिए इनका एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। मौखिक साक्ष्य में वादी भौरूलाल ने भूमि पर अपना कब्जा बतौर खातेदार होना बताया है एवं खसरा नंबर 6862 की रघुनाथ प्रसाद के नाम से जो भूमि थी उसकी सरकारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

भूमि का गलत इन्द्राज होना बताया है। लेकिन रघुनाथ के वारिस होने का वादीगण ने कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रदर्श ए–5 जमाबंदी में खसरा नंबर 6862 प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है। अतः विवाद्यक संख्या 1 ता 4 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 5 व 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में कोई साक्ष्य मौखिक पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। प्रदर्श ए–5 जमाबंदी संवत 2048–51 में खसरा नंबर 6862 प्रतिवादी नंबर 1 व 3 की खातेदारी में दर्ज है। अतः विवाद्यक संख्या 5 व 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 7 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 6 के विवेचन से वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत 2064–67 में वादीगण की खातेदारी में दर्ज है एवं खसरा नंबर 6862 जमाबंदी प्रदर्श ए–5 संवत 2048–51 प्रतिवादी नंबर 1 व 3 की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण खसरा नंबर 6888 लगायत 6893, 6924 लगायत 6926, 6937 लगायत 6939, 6956 लगायत 6959 कुल किता 16 कुल रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 के खातेदार काश्तकार है एवं मौखिक साक्ष्य में वादी भौरू ने भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई राजस्व रिकॉर्ड अपने खातेदारी होने का प्रस्तुत नहीं किया है एवं खसरा नंबर 6862 के संबंध में वादीगण ने अपनी खातेदारी की होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में पेश नहीं किया है। दावा वादीगण आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 6888 लगायत 6893, 6924 लगायत

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

6926, 6937 लगायत 6939, 6956 लगायत 6959 कुल किता 16 कुल रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई व्यवधान नहीं करें एवं कोई तोडफोड ना तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावें। खसरा नंबर 6862 के बाबत दावा वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...20.1.4.26..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली